

9

महिला एवं बाल सुरक्षा इकाई

महिला एवं बाल सुरक्षा इकाई

महिला एवं बच्चों से संबंधित समस्याओं का निदान कर उन्हें शीघ्र न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से प्रत्येक जिला मुख्यालय पर जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता एवं देखरेख में "महिला एवं बाल सुरक्षा इकाई" का गठन किया गया है। यह इकाई महिलाओं एवं बच्चों में उनके विधिक अधिकारों, कर्तव्यों के संबंध में उन्हें जागरूक करने के साथ ही उनकी समस्याओं का निदान करने व उनकी सुरक्षा का प्रयास करती है।
